<u>न्यायालयः मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बारां जिला बारां राज०</u>

पीठासीन अधिकारी

काना राम मीणा,

(RJS)

निर्णय दिनांक :— 09.03.2026

आपराधिक प्रकरण सं. 161/2026

सीआईएस नं. 1235/2016

CNR No. RJBR020013022016

एफआईआर सं. 99/2016 पुलिस थाना सदर बारां जिला बारां (राज.)

अपराध अंतर्गत धारा 379, 120बी भा0दं0सं0, 4/21 एमएमआरडी एक्ट व 146/196 एमवी एक्ट

PART— I

<u>A</u>

परिवादी	राजस्थान राज्य
प्रतिनिधित्व द्वारा	श्री हरिओम मीणा अभियोजन अधिकारी
अभियुक्त/अभियुक्तगण	01. चिन्टू पुत्र बृजमोहन निवासी कुंज बिहार कॉलोनी बारां राज. 02. दिनेश भार्गव पुत्र प्रेमनारायण निवासी केलवाडा जिला बारां राज.
प्रतिनिधित्व द्वारा	01. विद्वान अधिवक्ता श्री सिमरनजीत सिंह अभियुक्त चिन्टू की ओर से 02. विद्वान अधिवक्ता श्री यतेन्द्र गौत्तम अभियुक्त दिनेश की ओर से

<u>B</u>

अपराध की दिनांक		21.03.2016
एफआईआर की दिनांक		21.03.2016
आरोप पत्र की दिनांक		06.06.2016
आरोप सुनाये जाने की दिनांक		26.04.2017
साक्ष्य प्रारंभ होने की दिनांक		08.09.2022
निर्णय के लिए निर्धारित तिथि		09.03.2026
दंडादेश (यदि हो तो)	सुनवाई की दिनांक	09.03.2026

C

अभियुक्त/अभियुक्तगण का विवरणः–

अभियुक्त/अभियुक्तगण की श्रेणी	अभियुक्त/अभियुक्तगण का नाम	प्रथम गिरफ्तारी की दिनांक	प्रथम बार जमानत पर बाहर आने की दिनांक	आरोपित अपराध	दोषसिद्ध या दोषमुक्त	दण्डादेश या परिवीक्षा आदेश का विवरण	धारा 428 सीआरपीसी के तहत अभिरक्षा में बितायी अवधि
02.	चिन्टू	22.03.2016	05.04.2016	379, 120बी भा0दं0सं0, 4/21 एमएम आरडी एक्ट व 146/196 एम वी एक्ट	दोषसिद्ध	पैरा 22 के अनुसार	
	दिनेश						

PART– II

साक्षियों की सूची– अभियोजन साक्षी/बचाव साक्षी/न्यायालय साक्षी

(A) अभियोजन साक्षी

श्रेणी	नाम	साक्षी की प्रकृति
PW1	दिनेश	फरियादी
PW2	अर्जुन राम	ताईद चश्मदीद वाका व नक्शा मौका
PW 3	रामलाल	ताईद चश्मदीद वाका व नक्शा मौका
PW 4	बाबूलाल	हालात तफ्तीश
PW 5	अरूण कुमार सिरवी	ताईद चश्मदीद वाका व नक्शा मौका

(B) बचाव साक्षी

RANK	NAME	साक्षी की प्रकृति (EYE WITNESS, POLICE WITNESS, EXPERT WITNESS, MEDICAL WITNESS, PANCH WITNESS, OTHER WITNESS)
-	-	-

(C) न्यायालय साक्षी

RANK	NAME	NATURE OF EVIDENCE (EYE WITNESS, POLICE WITNESS, EXPERT WITNESS, MEDICAL WITNESS, PANCH WITNESS, OTHER WITNESS)
–	–	–

प्रदर्शित दस्तावेजात की सूची : अभियोजन प्रदर्श/बचाव प्रदर्श/न्यायालय प्रदर्श

(A) अभियोजन प्रदर्श

क्र. सं.	प्रदर्श संख्या एवं दिनांक मय साक्षी द्वारा प्रदर्शित	वर्णन
1	Ex P1 08.09.22 PW1, PW4	पंचनामा
2	Ex P2 08.09.22 PW1, PW4	फर्द जप्ती
3	Ex P3 08.09.22 PW1	फर्द सुपुर्दगी
4	Ex P4 08.09.22 PW1	रिपोर्ट
5	Ex P5 08.09.22 PW1	चाक एफआईआर
6	Ex P6 08.09.22 PW1, PW2, PW3, PW4	नक्शा मौका
7	Ex P7 21.07.23 PW2, PW3, PW4	फर्द गिरफ्तारी चिन्टू
8	Ex P8 20.12.23 PW4	रजिस्ट्रेशन की प्रमाणित प्रति

(B) बचाव प्रदर्श

क्र.सं.	प्रदर्श संख्या एवं दिनांक मय साक्षी द्वारा प्रदर्शित	वर्णन
-	–	–

(C) न्यायालय प्रदर्श:

क्र.सं.	प्रदर्श संख्या एवं दिनांक मय साक्षी द्वारा प्रदर्शित	वर्णन
	NIL	

(D) सारवान वस्तु एवं मालखाना:

क्र.सं.	सारवान वस्तु एवं मालखाना का क्रमांक	वर्णन	मालखाना रजिस्टर के क्रमांक एवं वर्णन
	NIL		

1. इस प्रकरण में आरोप पत्र थानाअधिकारी, पुलिस थाना सदर बारां की ओर से जरिए अभियोजन अधिकारी अभियुक्तगण के विरूद्ध जुर्म धारा 379, 120बी भा0दं0सं0, 4/21 एमएमआरडी एक्ट व 146/196 एमवी एक्ट के तहत पेश किया गया है।

2. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि दिनांक 21.03.2016 को फरियादी दिनेश खनिज कार्य देशक खनिज विभाग बारां के द्वारा एक तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी 04 इस आशय की पेश की है कि दिनांक 21.3.16 को समय 04.30 पीएम श्रीमान एसडीओ बारां, श्रीमान डीवाईएसपी बारां, श्रीमान सहायक खनि अभियंता बारां, श्रीमान एसएचओ बारां मय जाप्ता लाईन बारां व अधोहस्ताक्षर कर्ता, संयुक्त विभागीय टीम द्वारा क्षेत्र में बहने वाली पार्वती नदी हनोतिया में अवैध खनन निर्गमन की रोकथाम हेतु आकस्मिक चैकिंग की गई चैकिंग के दौरान ट्रेक्टर नंबर आरजे 28 आरए 3289 मय ट्रोली खनिज में स्टोन 6 टन लगभग भरकर निर्गमन करता पाया गया, टीम को आता देख वाहन चालक ने खनिज मौके पर खाली कर दिया व वाहन भगाकर ले जाने लगा, इस पर पीछा कर पकडा गया तथा पूछने पर चालक ने अपना नाम चिन्टू गुर्जर बताया तथा मालिक बृजमोहन गुर्जर बताया। चालक से खाली किए गये खनिज का रवन्ना दिखाने हेतु कहाँ गया इस पर चालक द्वारा मौके पर कोई रवन्ना नहीं दिखाया गया व बताया कि खनिज पार्वती नदी हनोतिया से भरकर बारां को ले जायेगा। वर्तमान में उक्त नदी क्षेत्र में खनन की कोई विभागीय परमिशन नहीं है, चूंकि खनिज का निर्गमन बिना वैध रवन्ना बिना परमिशन के किया जा रहा था जो एमएमआरसी 1986 के नियम 48 व 68 तथा एमएमआरडी एक्ट 1957 की धारा 4 व 21 का उल्लघंन है इस पर चालक को नियमानुसार पेनल्टी राशि रु० 26380 जमा कराने हेतु कहा गया चालक द्वारा पेनल्टी राशि जमा कराने में असमर्थता व्यक्त की तथा वाहन को मौके नियमानुसार जप्त सरकार किया गया तथा थाना सदर लाकर निगरानी में खड़ा किया गया खनिज का निर्गमन बिना रवन्ना अवैध तरीके से किया जा रहा था .....इत्यादि।

3. उक्त रिपोर्ट के आधार पर पुलिस थाना सदर बारां पर मुकदमा नं0 99/2016 दर्ज कर बाद अनुसंधान अभियुक्त चिन्टू के विरूद्ध धारा 379, 120बी भा0दं0सं0 व 4/21 एमएमआरडी एक्ट व धारा 146/196 एमवी एक्ट में तथा अभियुक्त दिनेश के विरूद्ध धारा 379, 120बी भा0दं0सं0, 4/21 एमएमआरडी एक्ट व 146/196 एमवी एक्ट में आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया गया, जिस पर अभियुक्तगण के विरूद्ध उक्तानुसार उक्त धारा में प्रसंज्ञान लिया जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया।

4. बहस चार्ज सुनी जाकर अभियुक्त चिन्टू को जुर्म धारा 379, 120बी भा0दं0सं0 व 4/21 एमएमआरडी एक्ट का तथा अभियुक्त दिनेश को जुर्म धारा 379, 120बी भा0दं0सं0, 4/21 एमएमआरडी एक्ट व 146/196 एमवी एक्ट का आरोप पृथक से

लिखित रूप में विरचित कर सुनाया व समझाया गया तो अभियुक्तगण ने आरोप अस्वीकार कर अन्वीक्षा चाही।

5. तत्पश्चात साक्ष्य अभियोजन बंद की जाकर बयान मुल्जिम अंतगर्त धारा 313 दं0प्र0सं0 के लिए गए जिसमें अभियुक्तगण ने अपने विरूद्ध आई साक्ष्य को गलत होना बताया तथा बावजूद अवसर साक्ष्य सफाई पेश नहीं की।

6. बहस पक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस अभियोजन अधिकारी द्वारा पत्रावली पर प्रस्तुत मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्तगण को आरोपित अपराधों में दोषसिद्ध करने का तर्क प्रस्तुत किया, जबकि दौराने बहस अधिवक्ता अभियुक्तगण की ओर से तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रकरण में मुल्जिमान को झूठा व रंजिश वंश फंसाया गया है तथा वाहन दिनेश भार्गव के नाम है लेकिन उसने कोई घटना कारित नहीं की है, मुल्जिमान को प्रकरण में रंजिशवंश फंसाया गया है, नक्शा मौका साक्ष्य से प्रमाणित नहीं है, इसलिए अभियुक्तगण को दोषमुक्त करने का तर्क प्रस्तुत किया।

7. उभय पक्ष की बहस सुनी व पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं अध्ययन किया गया। उनके समक्ष विचारणीय बिन्दु इस प्रकार है किः—

''न्यायालय के सामने विचारणीय बिन्दु यह है कि क्या अभियुक्तगण ने दिनांक 21.03.2016 को समय लगभग 4.30 पीएम पर बमुकाम हनोतिया पार्वती नदी से खान विभान बारां की अनुमति के बिना पार्वती नदी से 06 टन बजरी निकालकर अवैध खनन करने का षड्यंत्र रचकर, आपराधिक षडयंत्र में शरीक होकर ट्रेक्टर ट्रोली नंबर आरजे 28 आर 3289 में डालकर चुराकर ले जा रहे थे, जबकि आपके पास खनिज का रवन्ना भी नहीं था तथा दौराने चैकिंग उक्त वाहन को पकडा गया तो वक्त घटना अभियुक्त दिनेश के पास वाहन का बीमा नहीं था जिसके बीमें का दायित्व आपका बनता है। यदि हां तो अभियुक्त किस दण्ड का दायी है?

8. उभय पक्ष को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

9. उपरोक्त विचारणीय बिंदु के संबंध में अभियोजन पक्ष की ओर से मौखिक साक्ष्य के रूप में गवाह पी0डब्ल्यू—01 दिनेश ने मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि वह दिनांक 21.03.16 को खनिज कार्यदेशक के पद पर बारां में पदस्थापित था। उस दिन एसडीओ बारां, डीवाईएसपी बारां, सहायक अभियंता बारां, एसएचओ थाना सदर के मय जाप्ता के ग्राम हनोतिया पार्वती नदी में अवैध खनन की रोकथाम हेतु आकस्मिक चैकिंग की गई। जहां एक ट्रेक्टर नं० आरजे 28 आरए 3289 मय ट्रोली खनिज चुनाई पत्थर करीब 6 टन भरकर निर्गमन करता पाया। जिसने वे टीम को देखकर वाहन चालक

ने खनिज को मौके पर खाली कर दिया व वाहन भगाकर ले जाने लगा जिसका पीछा कर पकडा तो अपना नाम चिंटू गूर्जर बताया तथा मालिक का नाम बृजमोहन गूर्जर बताया। चालक से खाली किये गये खनिज का रवन्ना मांगा तो नहीं होना बताया तथा पार्वती नदी से भरकर लाना बताया। जिस पर बिना अनुज्ञा के व बिना वैध रवन्ना के खनन निर्गमन करना अपराध पाया जाने पर जुर्माना राशि 26380 रूपये जमा करवाने को कहा तो चालक ने असमर्थता व्यक्त की जिस पर वाहन को मौके पर जप्त किया व मौके का पंचनामा बनाया जो प्रदर्श पी० 1 है। जप्ती प्रदर्श पी० 2 है। जप्त ट्रेक्टर मय टोली को थाने की निगरानी में सुपुर्दगी में दिया जो प्रदर्श पी० 3 है। तीनों फर्दो पर ए से बी उसके व सी से डी चिंटू के हस्ता० है। उसने प्रकरण की रिपोर्ट दी जो प्रदर्श पी० 4 है जिस पर ए से बी उसके हस्ता० है। चाक एफआईआर प्रदर्श पी० 5 पर ए से बी उसके हस्ता० है। पुलिस ने घटनास्थल का नक्शा मौका प्रदर्श पी० 6 बनाया जिस पर ए से बी उसके हस्ता० है। उक्त गवाह से अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा जिरह नहीं की गई।

10. गवाह पी0डब्ल्यू—02 अर्जुन राम ने मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि वह दिनांक 21.03.16 को पुलिस थाना बारां सदर में कानि० के पद पर तैनात था। उस दिन एसएचओ साहब, वीआईएसपी साहब, एसडीएम साहब और माईनिंग विभाग की टीम के साथ पार्वती नदी में अवैध खनन व चैकिंग के लिए थाने से लगभग साढे 3 व पौन 4 बजे लगभग रवाना होकर 4.30 तक पहुँच गए थे। जहां एक ट्रैक्टर मय ट्रौली जिसमें पत्थर भरे हुए थे का चालक पुलिस को देखकर भागने लगा। उसे पीछा करके रोका तथा उसका नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम चिन्टू गुर्जर निवासी बारां का होना बताया जिससे पत्थर लाने ले जाने के लिए माइनिंग विभाग से अनुज्ञा पत्र होना चाहा गया तो नहीं होना बताया। तब मौके पर ही खनिज विभाग द्वारा ट्रेक्टर मय ट्रोली जब्त की व मौका पंचनामा बनाया। ट्रैक्टर के नंम्बर आरजे 28 आरए 3289 था। घटनास्थल का नक्शा मौका दिनांक 22.03.16 को बाबूलाल एएसआई द्वारा बनाया गया। जो प्रदर्श पी 6 है जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है। फर्द गिरफतारी मुलजिम चिन्टू फर्द प्रदर्श पी 7 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है।

11. उक्त गवाह ने अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की गई जिरह में कथन किया है कि यह कहना सही है कि सभी कर्मचारी पुलिस के व माईनिंग विभाग के है। यह कहना सही है कि जब ट्रेक्टर मय ट्रोली पकडी तब वह खाली थी। उनके सामने चालक चिन्टू ट्रेक्टर खाली करके ट्रेक्टर ट्रोली लेकर भागा था। उक्त ट्रेक्टर के चैसिंस नंबर व इंजन नंबर याद नहीं है। यह कहना सही है कि नक्शा मौका अगले दिन बनाया गया था। मौके

पर अन्य कोई स्वतंत्र गवाह मौजूद नहीं था। यह कहना गलत है कि वे लोग ट्रेक्टर वालों से अवैध वसूली कर रहे हो और उक्त ट्रेक्टर चालक ने पैसे देने से मना करने पर उन्होंने झूठा मुकदमा करवाया हो।

12. गवाह पी0डब्ल्यू—03 रामलाल ने मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि वह दिनांक 21.03.2016 को थाना बारां सदर में कानि० के पद पर पदस्थापित था। उस दिन एसएचओ साहब श्रीराम बडेसरा के साथ मय जाब्ते में खनन विभाग की टीम के साथ हानोतिया पार्वती नदी पर समय 4.30 पीएम पर पहुँचे तो नदी में एक ट्रेक्टर पुलिस जाप्ता को देखकर ट्रेक्टर चालक ट्रोली में भरे पत्थर नदी में ही खाली करके ट्रेक्टर ट्रोली भगाकर ले गया। जिसे डिटेन किया। चालक से नाम पता पूछा तो चिन्टू गुर्जर निवासी कुंज बिहारी कॉलोनी बारां का होना बताया। चालक से मौके पर ही ट्रेक्टर ट्रोली में पत्थर ले जाने बाबत रवाना चाहा तो तो रवाना नहीं होना बताया। खनन विभाग द्वारा ट्रेक्टर पर ही पंचायतनामा मूर्तिब कर जब्त किया। ट्रेक्टर को लेकर थाने पर आये। ट्रेक्टर नं० आरजे 28 आरए 3289 है। दिनांक 22.03.2016 को आईओ बाबूलाल एसआई साहब ने घटनास्थल का नक्शामौका मूर्तिब किया। नक्शामौका प्रदर्श पी 06 है जिस पर ई से एफ उसके हस्ताक्षर है। उसी दिन मुल्जिम चिन्टू गुर्जर को गिरफतार किया था। फर्द गिरफतारी प्रदर्श पी 07 है जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है।

13. उक्त गवाह ने अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की गई जिरह में कथन किया है कि यह कहना सही है कि घटनास्थल पर सारे कर्मचारी पुलिस व खनन विभाग के ही थे। यह कहना सही है कि जो ट्रोली पकडी थी वो उस समय खाली थी। ट्रेक्टर के चेचिस नंबर व इंजन नंबर याद नहीं है। नक्शा मौका बरामदगी के दूसरे दिन बनाया था। बरामदगी स्थल पर कोई भी स्वतंत्र गवाह मौजूद नहीं था। यह कहना गलत है कि वहां से गुजरने वाले ट्रेक्टर चालकों को अवैध वसूली कर रहे हो और उक्त ट्रेक्टर चालक पैसे देने से मना करने पर उनके द्वारा झूठा मुकदमा दर्ज किया हो।

14. गवाह पी0डब्ल्यू—04 बाबूलाल ने मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि वह दिनांक 21.03.2016 को थाना बारां सदर मे एसआई के पद पर तैनात था। उस दिन थानाधिकारी द्वारा मु० नंबर 99/16 धारा 4/21 एमएमआरडी एक्टए 379 भादस का अनुसंधान उसके सुपुर्द किया था। दौराने अनुसंधान बयान गवाहन अरूण सिरवी, रामलाल, अर्जुनराम, दिनेश, श्रीराम बडेसरा के उनके कहेनुसार लिये। घटनास्थल का निरीक्षण कर नक्शामौका उसके द्वारा बनाया जो प्रदर्श पी 06 है जिस पर जी से एच उसके हस्ता० है। अभियुक्त चिन्टू गुर्जर को उसके द्वारा जरिये फर्द प्रदर्श पी 07 गिरफतार किया। फर्द

गिरफतारी प्रदर्श पी 07 है जिस पर ई से एफ उसके हस्ता० व जी से एच मुल्जिम के हस्ता० है। जप्तसुदा ट्रेक्टर का रजिस्ट्रेशन की प्रमाणित प्रति प्रदर्श पी 08 शामिल की गयी। खनिज विभाग द्वारा मौका पंचनामा प्रदर्श पी 01 व जप्ती प्रदर्श पी 02 शामिल पत्रावली किया गया। संपूर्ण अनुसंधान से मुल्जिम चिन्टू के विरूद्ध धारा 379 भादस व 4/21 एमएमआरडी एक्ट 146/196 एमवी एक्ट व मुल्जिम दिनेश भार्गव के विरूद्ध धारा 379, 120बी भादस व 4/21 एमएमआरडी एक्ट व 146/196 एमवी एक्ट का अपराध प्रमाणित पाया जाने पर पत्रावली अग्रिम कार्यवाही हेतु थानाधिकारी को पेश की गयी।

15. उक्त गवाह ने अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की गई जिरह में कथन किया है कि यह कहना सही है कि पत्रावली में किसी स्वतंत्र गवाह के बयान नहीं लिए गए। यह कहना गलत है कि सारी पत्रावली थाने पर ही बैठकर ही तैयार की हो। नक्शा मौका दिनांक 22.03.2016 को बनाया था। ट्रेक्टर ट्रोली उसके द्वारा जप्त नहीं की गई। खनिज विभाग ने जप्त करके थाने पर दी थी। ट्रेक्टर के चेचिस नंबर आज उसे याद नहीं है।

16. गवाह पी0डब्ल्यू—05 अरूण कुमार सिरवी ने मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिनांक 21.03.2016 को वह खनिज विभाग बारां में सहायक खनिज अभियंता के पद पर पदस्थापित था। उस दिन अवैध खनन निर्गमन की चैकिंग के लिए वह, एस डी एम साहब बारां, डिप्टी साहब बारां एस एच ओ बारां मय पुलिस लाइन जाब्ता व उसके अधीनस्थ श्री दिनेश सैनी के साथ पार्वती नदी में पहुंचे। ग्राम हनोतिया के पास पहुंचे वहा पर एक टेक्टर आर जे 28 आर ए 3289 मय ट्रॉली जिसमें खनिज चुनाई पत्थर भरा हुआ था को आते हुए देखा गया। चैकिंग दल को देखकर वाहन चालक मौके पर खनिज चुनाई पत्थर को खाली कर भागने लगा जिसका पीछा कर पकडा गया तो चालक ने अपना नाम चिंटू गुर्जर होना बताया। चालक से पूछने पर बताया कि उसके पास इस खनिज का कोई विभागीय वैध रवन्ना/रसीद नहीं हैं। चालक द्वारा इस क्षेत्र से खनिज का अवैध खनन करने निर्गमन कर बारां ले जाना बताया। चूंकि चालक के पास किसी प्रकार का विभागीय वैध रवन्ना ध् रसीद नही होने के कारण एम एम सी आर 1986 के नियम 48 व 68 के तहत दिनेश सैनी द्वारा मौके पर मौका पंचनामा मय फर्द जब्ती बनाया गया तथा वाहन को पुलिस थाना सदर में न जाने हेतु मौके पर कहा गया।

17. उक्त गवाह ने अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की गई जिरह में कथन किया है कि इस पत्रावली में जो गवाह बने हैं, उनके विभाग का सिर्फ एक कर्मचारी है जिसने एफआईआर दर्ज की थी। बाकी के गवाह कौन है वह नहीं जानता। ट्रोली जब पकडी थी तब खाली थी अजखुद कहा कि जब उन्होंने पीछा किया तो खाली करके भाग

गया था। जप्तशुदा ट्रेक्टर का चेसिस नंबर और इंजन नंबर नहीं देखा। ट्रेक्टर कौनसी कंपनी का था याद नहीं है। नक्शा मौका उसके सामने नहीं बनाया। मुल्जिम ने अपना नाम चिन्टू गुर्जर स्वयं बताया था, उनके द्वारा पहचान दस्तावेज नहीं देखा गया। यह कहना गलत है कि खनिज विभाग के कर्मचारी व पुलिस कर्मचारी ट्रेक्टर ट्रोलियों से अवैध वसूली करते हो। यह कहना गलत है कि जब ट्रेक्टर चालकों द्वारा पैसा नहीं दिया गया तो उनके विरूद्ध झूठी कार्यवाही की गई हो।

18. उभय पक्षों के तर्कों पर मनन किया। पत्रावली एवं संबंधित विधि का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अवलोकन से यह जाहिरा स्पष्ट होता है कि उक्त प्रकरण में घटना के बाबत् रिपोर्ट प्रदर्श पी 04 परिवादी दिनेश के द्वारा इस आशय की दर्ज करवाई है कि दिनांक 21.03.2016 को समय 4.30 पीएम के आसपास एसडीओ बारां, डीवाईएसपी बारां, सहायक खनिज अभियंता बारां व एसएचओ बारां मय जाप्ता संयुक्त विभागीय टीम द्वारा क्षेत्र में बहने वाली पार्वती नदी हनोतिया में अवैध खनन निर्गमन की रोकथाम हेतु आकस्मिक चैकिंग के दौरान ट्रेक्टर नंबर आरजे 28 आरए 3289 मय ट्रोली खनिज में स्टोन 06 टन लगभग भरकर पाया गया, टीम को देखकर खनिज को खाली करके वाहन को भगाकर ले जाने की कोशिश करने लगा तो पकडकर नाम पता पूछा तो उसने अपना चिन्टू गुर्जर बताया एवं कोई रवन्ना नहीं होने के संबंध में जप्ती करते हुए उक्त कार्यवाही किए जाने के बाबत् दर्ज करवाई गई है, जिस संबंध में परिवादी दिनेश पी. डब्ल्यू—01 के रूप में न्यायालय में परीक्षित होते हुए दिनांक 21.03.2016 को खनिज कार्यदेशक के पद पर बारां में पदस्थापित रहते हुए चैकिंग के दौरान मुल्जिम के कब्जे से उक्त ट्रेक्टर मय खनिज पत्थर 06 टन बिना रवन्ना के भरते हुए ले जाते हुए पाए जाने पर उक्त स्टोन को खाली कर वाहन को भगाकर ले जाने के दौरान पकडने व मुल्जिम का नाम चिन्टू गुर्जर होने व मौके पर ही वाहन को जप्त कर पंचनामा प्रदर्श पी 01 मुर्तिब करने, फर्द जप्ती प्रदर्श पी 02, जप्त शुदा ट्रेक्टर मय ट्रोली थाने की निगरानी में सुपुर्दगी में दिया जो प्रदर्श पी 03 होने, रिपोर्ट प्रदर्श पी 04, चाक एफआईआर प्रदर्श पी 05 व नक्शा मौका प्रदर्श पी 06 पर ए से बी हस्ताक्षर होने के बाबत् साक्ष्य देते हुए उक्त गवाह से मुल्जिमान की ओर से कोई जिरह नहीं किये जाने के कारण उक्त गवाह के बयानों का खंडन्न पत्रावली पर नहीं होना प्रकट होता है तथा गवाह पी.डब्ल्यू—02 अर्जुन राम जो कि जाप्ते का गवाह है उसके द्वारा भी उक्त मुल्जिम के कब्जे से ट्रेक्टर मय ट्रोली स्टोन बिना रवन्ना के निर्गमन व ले जाते हुए पाए जाने पर मौके पर ही जप्त कर कार्यवाही करने, नक्शा मौका प्रदर्श पी 06 व फर्द गिरफ्तारी मुल्जिम चिंटू प्रदर्श पी 07 पर हस्ताक्षर होने

के बाबत् साक्ष्य दी है तथा गवाह पी.डब्ल्यू—03 रामलाल के द्वारा भी प्रदर्श पी 06 नक्शा मौका व फर्द गिरफ्तारी प्रदर्श पी 07 पर हस्ताक्षर होते हुए मुल्जिम के कब्जे से उक्त ट्रेक्टर मय ट्रोली बिना रवन्ना के स्टोन को ले जाने व जप्त करने के बाबत् साक्ष्य दी है तथा गवाह पी.डब्ल्यू—04 बाबूलाल जो कि प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी के रूप में परीक्षित हुआ है उसके द्वारा अपने बयानों में नक्शा मौका दिनांक 22.03.2016 को बनाते हुए खनिज विभाग ने जप्त कर थाने पर वाहन को देने व गवाहान के बयान लेते हुए मुल्जिम को गिरफ्तार कर मुल्जिमान के विरूद्ध अपराध प्रमाणित मानने के बाबत् साक्ष्य पत्रावली पर दी है तथा गवाह पी.डब्ल्यू—05 अरूण कुमार सिरवी के द्वारा मुल्जिम चिंटू गुर्जर से वाहन को बिना रवन्ना के बरामद कर जप्त करने के बाबत् साक्ष्य दी है। इस प्रकार जो साक्ष्य अभियोजन की ओर से पेश की गई है उसका खंडन्न मुल्जिमान की ओर से पत्रावली पर नहीं किया जाना प्रकट होता है तथा प्रदर्श पी 02 फर्द जप्ती में उक्त वाहन को जो जप्त किया गया है उस संबंध में मुल्जिमान के द्वारा पेनेल्टी राशि 26380 रूपए जमा करवाए जाने के पश्चात् उक्त वाहन को न्यायालय के आदेश से मुल्जिमान के द्वारा सुपुर्दगी पर लिया जाना प्रकट होता है तथा पत्रावली पर उक्त वाहन मुल्जिम चिंटू गुर्जर के कब्जे से बरामद किया जाना प्रकट होता है तथा मुल्जिम के पास रवन्ना नहीं होना प्रकट होता है तथा उक्त वाहन जो प्रदर्श पी 02 के माध्यम से जप्त किया गया है उसका वाहन स्वामी दिनेश भार्गव मुल्जिम होना दस्तावेज प्रदर्श पी 08 के अवलोकन से प्रकट होता है। इस प्रकार मुल्जिम दिनेश भार्गव के द्वारा उक्त वाहन मुल्जिम चिंटू गुर्जर को पत्थर का अवैध रूप से निर्गमन करने हेतु देना व उक्त वाहन प्रदर्श पी 02 के माध्यम से बरामद करना साक्ष्य से प्रकट होता है तथा वाहन दिनेश के नाम ना हो इस संबंध में कोई खंडन्न मुल्जिम की ओर से पत्रावली पर नहीं किया जाना प्रकट होता है तथा वाहन प्रदर्श पी 02 के माध्यम से जो जप्त किया गया है उसका बीमा भी नहीं होना पत्रावली पर प्रकट होता है तथा मुल्जिमान ने घटना कारित न की हो इस संबंध में कोई खंडन्न पत्रावली पर नहीं होना प्रकट होता है। इस प्रकार मुलजिमान द्वारा उक्त वाहन को बिना बीमा के पार्वती नदी से प्रयोग में लेते हुए बिना अनुमति के 6 टन बजरी, 6 टन स्टोन बिना रवन्ना के ले जाते हुए आपराधिक षड्यंत्र कर उक्त अपराध कारित किया जाना साक्ष्य से प्रकट होता है, ऐसी स्थिति में पत्रावली पर प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त चिंटू को अपराध अंतर्गत धारा 379, 120बी भा0दं0सं0 व 4/21 एमएमआरडी एक्ट में व अभियुक्त दिनेश को अपराध अतंर्गत धारा 379, 120बी

भा0दं0सं0, 4/21 एमएमआरडी एक्ट व 146/196 एमवी एक्ट पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर दोषसिद्ध किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

–:: आदेश ::–

19. परिणामतः अभियुक्त **चिन्टू** पुत्र बृजमोहन निवासी कुंज बिहार कॉलोनी बारां राज. को अपराध अंतर्गत धारा 379, 120बी भा0दं0सं0 व 4/21 एमएमआरडी एक्ट के आरोप में व अभियुक्त **दिनेश भार्गव** पुत्र प्रेमनारायण निवासी केलवाडा जिला बारां राज. को अपराध अंतर्गत धारा 379, 120बी भा0दं0सं0, 4/21 एमएमआरडी एक्ट व 146/196 एमवी एक्ट के आरोप में दोषसिद्ध घोषित किया जाता है एवं मुलजिमान के नियमित जमानत मुचलके निरस्त किए जाते है।

(काना राम मीणा)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
जिला बारां (राज0)

सजा के बिंदु पर सुना गया :–

20. दण्ड के प्रश्न पर विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण को सुना गया। अधिवक्ता अभियुक्तगण का कथन है कि अभियुक्तगण का यह प्रथम अपराध है, अभियुक्तगण लंबे समय से अन्वीक्षा भुगत रहे है। उनके विरूद्ध प्रमाणित अपराध आरोप की प्रकृति ऐसी नहीं है, जिसमें उन्हें तत्काल कारावास के दण्ड से दण्डित किया जाना समीचीन हो। अतः अभियुक्तगण के प्रति नरमी का रूख अपनाते हुए परिवीक्षा प्रावधानों का लाभ दिये जाने का निवेदन किया है। इसका विरोध करते हुए विद्वान् अभियोजन अधिकारी ने अभियुक्तगण को कठोर दण्ड से दण्डित करने का निवेदन किया।

21. उभय पक्ष के तर्कों पर विचार किया, पत्रावली का अवलोकन किया एवं मुलजिमान के विरूद्ध पूर्व दोषसिद्धि बाबत् आपराधिक रिकॉर्ड नहीं होना प्रकट होता है तथा प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए अभियुक्तगण को परीविक्षा का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

–:: दण्डादेश ::–

22. अतः अभियुक्त **चिन्टू** पुत्र बृजमोहन निवासी कुंज बिहार कॉलोनी बारां राज. को अपराध अंतर्गत धारा 379, 120बी भा0दं0सं0 व 4/21 एमएमआरडी एक्ट के आरोप में व अभियुक्त **दिनेश भार्गव** पुत्र प्रेमनारायण निवासी केलवाडा जिला बारां राज. को अपराध अंतर्गत धारा 379, 120बी भा0दं0सं0, 4/21 एमएमआरडी एक्ट व 146/196 एमवी एक्ट

के अपराध के लिए दोषसिद्ध किया जाकर उक्त अपराध के आरोप में मुल्जिमान को तुरन्त कारावास की सजा से दण्डित न किया जाकर परिवीक्षा अधिनियम की धारा 4(1) का लाभ दिया जाकर आदेश दिया जाता है कि यदि अभियुक्तगण 1 वर्ष की अवधि के लिए 10,000/— रूपये की राशि की जमानत व इसी राशि का स्वयं का मुचलका इन शर्तों का पेश कर तस्दीक करा दे कि वे इस अवधि में शांति एवं सद्व्यवहार बनाये रखेगे, अपराध की पुनरावृत्ति नहीं करेगे तथा न्यायालय द्वारा तलब करने पर उपस्थित होकर दण्डादेश पायेगे, तब उन्हें परिवीक्षा पर छोडा जावे। साथ ही प्रत्येक अभियुक्त पर परिवीक्षा अधिनियम की धारा 5 के तहत 1000—1000/— रुपये (अक्षरे कुल दो हजार रूपये) अभियोजन व्यय स्वरूप अधिरोपित किये जाते हैं। उक्त राशि जमा राजकोष रहे तथा अभियुक्तगण की ओर से धारा 12 का परीविक्षा अधिनियम का प्रार्थना पत्र पेश किया जिसके अनुसार मुल्जिमान को धारा 12 परीविक्षा अधिनियम का लाभ दिया जाता है। उक्त दोषसिद्ध उक्त मुल्जिमान के भावी जीवन को प्रभावित व ग्रसित नहीं करेगी।

(काना राम मीणा)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
जिला बारां (राज0)

23. निर्णय आज दिनांक 09.03.2026 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर सुनाया गया।

(काना राम मीणा)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
जिला बारां (राज0)

NIKITA CHOUDHARY

Steno Gr. lll
"Authenticate Document"
Digitally signed by NIKITA CHOUDHARY